50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर खेती की जमीन पर बन सकेगी टाउनशिप

उप्र टाउनशिप नीति, 2023 लागू करने का शासनादेश जारी

लखनऊ। प्रदेश में छोटे शहरों के सुनियोजित विकास के लिए उप्र टाउनशिप नीति, 2023 लागू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बुधवार को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश के मुताबिक नीति के तहत शुरू होने वाली टाउनशिप में मनमाने तरीके से भू उपयोग नहीं बदला जा सकेगा। अलबत्ता टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ से कम होने पर मास्टर प्लान में केवल आवासीय उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने पर खेती की जमीन पर टाउनशिप लाने की अनुमति दी जाएगी। नई नीति में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में 12.5 एकड़ और दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 25 एकड़ में टाउनशिप लाने की अनुमति दी गई है। अर्बन मास ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ और ऐसे क्षेत्रों जहां विकास के नए सेंटर हैं, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। भू उपयोग भी शर्तों के साथ बदलने की छूट दी जाएगी। पांच लाख से दस लाख आबादी वाले शहरों में 25 फीसदी और पांच लाख से आबादी कम होने पर 50 प्रतिशत की छूट भू उपयोग परिवर्तन पर दिया जाएगा। टाउनशिप में आवासीय, मिश्रित, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थान, सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं देनी होंगी। मनोरंजन, पार्क, खुले क्षेत्र, क्रीड़ास्थल, जलाशय, पार्किंग स्थल आदि के मानकों का पालन करते हुए आरक्षित करना होगा। ब्यूरो